

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/कोटा/सामान्य-01552/2024/

दिनांक:-

-: आदेश :-

श्री परवेज अहमद, नर्सिंग ऑफिसर, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बून्दी जो कि दिनांक 19.10.2020 से 03.01.2021 तक (77 दिवस) आदेशों की प्रतीक्षा अवधि में रहे हैं, को राजस्थान सेवा नियम-1951 के नियम-7(8)(बी)(III) के अन्तर्गत कर्तव्य पर माने जाने तथा उक्त नियमों के नियम 25ए के अन्तर्गत आदेशों की प्रतीक्षा में रहने की अवधि का वेतन आहरित करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/कोटा/सामान्य-01552/2024/ 517 दिनांक:- 27/05/2024
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री महोदय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
3. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राज. जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, कोटा।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी।
6. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बून्दी।
7. परवेज अहमद, नर्सिंग ऑफिसर, को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
9. रक्षित/आदेश प्रत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
7511397

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :27-05-2024 01:42:27